कार्यालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

सूचना का अधिकार–प्रथम अपील संख्या 01/2022

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
अनिल पुराहित पुत्र श्री मुलचन्द उर्फ दला, निवासी– सुनारों की घाटी, सराफा बाजार, जगदीश मन्दिर के आगे, जोधपुर (राज0) 342001		**लोक सूचना अधिकारी** **अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,** **जोधपुर**

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर) कार्यालय हाजा।

निर्णय

दिनांक 05.08.2022

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी की टिप्पणी एवं पत्रावली का विशद परिशिलन किया गया।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी–अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2022 के द्वारा कार्यालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में स्वयं के द्वारा तहसीलदार पोकरण (जिला जैसलमेर) के विरूद्ध की गई शिकयत के संदर्भ में बिन्दुवार 1 से 3 में जांच प्रतिवदन/कार्यवाही, नोटशीट एवं दोषी कार्मिकों के विरूद्ध जारी आदेश, जानबूझ कर आदेश की पालना नही करने, जिला कलेक्टर जैसलमेर को प्रेषित पत्राचार एवं वाद/शिकायत के निस्तारण की सूचना चाही गई थी। वांछित सूचना नही मिलने के आक्षेप से अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
4. प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई.। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2022 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में संस्थित प्रकरण की पत्रावली तलब की गई एवं अपील पर टिप्पणी चाही गई।
5. अपीलार्थी को सुनवाई हेंतु दिनांक 03.08.2022 को अवसर दिये जाने के उपरांत अनुपस्थित रहे।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

6. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अपनी टिप्पणी व उसके सलग्न प्रार्थी–अनिल पुरोहित द्वारा सूचना का अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2022 के संदर्भ में दर्ज प्रकरण संख्या 58/2022 की पत्रावली प्रस्तुत कर मुख्यतः यह अवगत कराया कि प्राथी द्वारा तहसीलदार पोकरण के विरूद्ध इस कार्यालय में की गई शिकायत दिनांक 25.10.2021 इस कार्यालय के पत्रांक 1574 दिनांक 27.10.2021 के द्वारा एवं शिकायत दिनांक 28.09.2021 जरिये पत्रांक 1403 दिनांक 30.09.2021 के द्वारा मूल ही जिला कलेक्टर जैसलमेर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। प्रकरण में वाद संस्थित नही किया गया व जांच रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। जिला कलेक्टर जैसलमेर को प्रेषित उपरोंक्त पत्रों की प्रतियां प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है तथा प्रार्थना में उल्लेखित बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना शून्य होने की सूचना निर्धारित समयावधि में रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की गई है।
7. अपीलाथी द्वारा अन्य कोई प्रतिकिया प्रस्तुत नही की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज निनिश्चय प्रदत्त है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थी–अपीलाथी द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत दोनों शिकायत पत्रों के निस्तारण के संदर्भ जिला कलेक्टर जैसलमेर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित पत्रों की प्रतियां निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करवा दी गई हैं। प्रस्तुत टिप्पणी के अनुसार उक्त प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर वाद संस्थित नही होने से अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं0 1 से 3 की सूचना शून्य प्रेषित की गई। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने के कारण प्रस्तुत अपील खारीज की जाती है।
8. पत्रावली बाद निर्णय नम्बर से कम की जावे तथा निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा को प्रेषित की जावे।

5/8/22

(कैलाश चन्द मीना)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर